(c) whether it is also a fact that the Ministry has also approved a proposal to raise the equity investment limit for automatic approval from the existing 51 per cent to 74 per cent for a number of other industries;

(d) if so, the details thereof and the industries covered by the proposal; and

(e) what would be the impact of the hike of foreign equity on the foreign direct, investments?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRISIKANDER BAKHT): (a) and (b) There is no cap for Foreign Direct Investment (FDI) for setting up projects for manufacturing passenger cars. The Government has approved ten proposals in this sector involving foreign direct investment of 74% and above during the period from August' 91 to December' 98.

(c) to (e) Liberalisation and further expansion of Annexure III list (initially notified vide Press Note No. 2 of 1997 series) is a continuous process depending upon the sector specific requirements for FDI. Annexure III contains list of Industries in high priority areas eligible for automatic approval with foreign equity upto 50%/51%/74% & 100%. Enlargement of equity levels and inclusion of new items/activities are notified through Press Notes from time to time. FDI policy regime is one of the key determinants of the foreign investment climate. Liberalisation of FDI regime by way of simplification of entry procedures enhances the attractiveness of a country as an investment destination.

लघु और मझौले उद्योगों का बंद किया जाना

2056. **श्री रामजीलाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान कितने लघु और मझौलें उद्योग स्थापित हुए और कितने बंद हुए;

(ख) इन उद्योगों के बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच हैं कि इन उद्योगों को घाटा होने का एक कारण एक साथ अग्रिम कर/उत्पाद शुल्क का लेना और उन्हे बाद में वापस करना हैं;

(घ) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार कब और क्या कार्यवाही करेगी; और

(ड.) इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष होने वाली हानि कितनी हैं तथा इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पंजीकृत लघु एककों के संबंध में राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरनान क्रमश: 1.40 लाख, 1.23 लाख और 1.45 लाख नये लघु उद्योग एककों को पंजीकृत किया गया हैं। चूंकि लघु उद्योग एककों का पंजीकरण कराया जाना स्वैच्छिक हैं, अत: उक्त वर्षो के दौरान स्थापित किए गए अपंजीकृत एककां की सही सूचना उपलब्ध नहीं हैं। उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत मझौले उद्योगों की कोई विशिष्ट श्रेणी नहीं हैं।

(ख) सरकार ने 1987-88 को आधार वर्ष मानकर पंजीकृत लघु उद्योग एककों की गणना की थी, जिसके अन्तर्गत श्रमिकों की समस्याओं, मालिकों में विवाद, कच्चे माल की अनुप्लब्धता, वित्तीय समस्याएं, विपणन समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि जैसे कारणों और लघु उद्योग एककों के बन्द होने जैसे अन्य कारणों को विनिर्दिष्ट किया गया हैं।

(ग) जी, नहीं। चूंकि अग्रिम एक मुश्त कर/उत्पाद शुल को वसूल करने और इसके बाद इसे वापिस करने की कोई प्रथा नहीं हैं, अत: अग्रिम एकमुश्त कर/उत्पाद शुल्क वसूल किया जाना इन उद्योगों को हुए घाटे का एक कारण के रूप में नहीं हैं।

(घ) और (ड.) प्रश्न हीं नहीं उठता हैं।

Multinational Companies in consumer goods business

2057. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of Multinational Companies that have been allowed to do business in India for manufacturing/ making and marketing consumer goods;

(b) whether there has been opposition against opening of consumer sector to MNCs; and

(c) the number of indigenous units in the field that have been taken over by

MNCs and the number of such units that have partially closed their business or are on the verge of closure?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (c) Sir, 762 proposals including proposals from multinational companies have been approved in the consumer goods sector with the condition of dividend balancing. Proposals for increase in the foreign equity percentage in existing joint venture companies by way of acquisition of shares are considered by FIPB-Government only when they arc supported by a Board Resolution of the target company. The acquisition of shares is as per SEBI/RB1 guidelines. The information regarding closure of units in the private sector is not centrally maintained.

Revival of M/s Reyrolle Burn Ltd

2058. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to reply to Unstarred Question No. 1239 given in the Rajya Sabha on 8th June, 1998 and state:

(a) whether United Bank of India (UB1) has started implementing the scheme which was sanctioned on 16th October, 1997;

(b) if not, the action taken so. far by Government;

(c) whether Government are required to provide need-based working capital if UB1 has any reservation on extending the same as per the sanctioned scheme; and

(d) Government's action plan to ensure timely implementation of the scheme?

THE MINISTER OF STA7E IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHB1R SINGH BADAL): (a) to (d) United Bank of India (UB1) is yet to fulfil its commitment as per the sanctioned scheme. The bank has been requested several times by the Company and this Department to extend need based funds against Government counter guarantee in the overall interest of the company. The matter has been brought to the notice of BIFR for their intervention. In the meanwhile, GOI have released Rs. 395 lakh as per the santtioned scheme, which is more than the amount envisaged in the Draft Rehabilitation Scheme viz Rs. 237 lakhs.

सार्वजानिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को पुनरूज्जीवित किया जाना

2029. **श्री ईश दत्त यादव** :

चौधरी हरमोहन सिंह यादव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजानिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को पुनरूज्जीवित करने की योजनाएं अभी भी उनके मंत्रालय के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सार्वजानिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को पुनरूज्जीवित करने की योजनाओं को अन्तिम रूप देने में देरी के कारण अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इस संबंध में तथ्य क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को बीआईएफआर को रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधान के तहत संदर्भित करना अनिवार्य हैं। बीआईएफआर पुनरूद्वार प्लान तैयार करने के लिए एक ऑपरेटिग एजेंसी की नियुक्ति करता हैं। बीआईएफआर कंपनी के पुनरूद्वार या अन्य बातों के लिए राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, वित्तीय संस्थानों, श्रामिकों संघों, प्रबंधकों इत्यादि सहित विभिन्न अभिकरणों के साथ परामर्श करता हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची, जिनके पुनरूद्वार प्लान सरकार/बीआईएफआर द्वारा विचार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर हैं, संलग्र विवरण में दी गई (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रम संचलन की समस्याओं का लगातार सामना करते रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ क्रयादेशों के प्राप्त करने